

एजेसी बैंक (एबी) द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एजेसी कमीशन के रूप में दावा की गई राशि ₹..... (रुपये.....) की गणना सही ढंग से की गई है। इस गणना में 'प्राप्तियों' और 'पेंशन भुगतानों' से संबंधित लेन-देनों की संख्या, तथा 'पेंशन के अलावा अन्य भुगतानों' से संबंधित लेन-देनों की राशि को ध्यान में रखा गया है। ये विवरण केंद्र/ राज्य सरकारों/ आरबीआई के लेखा प्राधिकारियों को प्रस्तुत सरकारी लेन-देनों के दैनिक स्कॉल में, और बैंक में उपलब्ध अन्य अभिलेखों में दर्ज हैं। साथ ही, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त राशि की गणना करते समय केवल उन्हीं पात्र मदों पर विचार किया गया है, जो 'आरबीआई मास्टर निदेश: एजेसी बैंकों (एबी) द्वारा सरकारी कारोबार का संचालन – एजेसी कमीशन का भुगतान और एबी की निगरानी, 2026' (समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित) में निर्दिष्ट हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान दावे में शामिल लेन-देनों के लिए एजेसी कमीशन का दावा केवल एक बार ही किया गया है।

2. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि केंद्र/राज्य सरकारों की ओर से सरकारी प्राप्तियों (कर और गैर-कर दोनों) के संग्रह को विधिवत स्कॉल किया गया है और आरबीआई को निधियां प्रेषित की गई हैं और जिस अवधि के लिए एजेसी कमीशन का दावा किया जा रहा है, उस अवधि से संबंधित स्कॉल जमा करने के लिए बैंक के पास कोई भी लेनदेन लंबित नहीं है।

3. इसके अतिरिक्त, हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे पास उपलब्ध पात्र पेंशनभोगियों के खातों का माह-वार विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार है, और जिन प्राप्तियों के लेनदेन के लिए एजेसी कमीशन का दावा किया गया है, उनमें बैंक की अपनी कर देनदारियों तथा आयकर अधिनियम के विभिन्न मदों के तहत स्रोत पर काटे गए करों से संबंधित लेनदेन शामिल नहीं हैं।

क्रम संख्या	माह	पेंशनभोगियों की संख्या
1		
2		
3		

बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम तथा मुहर